अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2022-स्था.I दिनांक : 04.06.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एम्स, नई दिल्ली में कार्यरत नियमित एवं आउटसोर्स स्टाफ हेतु कल्याणकारी उपाय संबंधी।

वर्तमान भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी द्वारा एम्स, नई दिल्ली में काम कर रहे नियमित एवं आउटसोर्स स्टाफ हेतु कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की गई है। तदनुसार, जहां तक संभव हो आरामदायक एवं अनूकूल कामकाजी स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- सभी क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि स्टाफ की ड्यूटी बाहरी क्षेत्रों (जैसे, सुरक्षा गार्ड) में हो तो उनकी चौकियों पर नियमित आधार पर बोतलबंद पेयजल/ओआरएस/नींबू पानी आदि उपलब्ध कराया जाए।
- इन-हाउस आधार पर बोतलबंद पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु बोतलबंद सुविधा (दिनांक 25.10.2023 के का.ज्ञा.सं. 40-30/2022.स्था.I के अनुसार) को आरंभ करने में तेजी लाई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल वितरण हेतु बोतलबंद पानी को पहले से ठंडा किया जाए।
- बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के, वर्तमान नियमों के अनुसार यथासंभव सीमा तक क्रमबद्ध ड्यूटी लगाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्यूटी इस प्रकार लगाई जाए कि किसी भी गार्ड को लगातार एक सप्ताह से अधिक समय तक बाहरी क्षेत्रों में ड्यूटी न करनी पड़े।
- सभी चौकियों पर दीवार पंखा लगी हुई गार्ड हट उपलब्ध कराई जाएं। मौजूदा गार्ड हट में, यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि दीवार पंखा उपलब्ध नहीं है तो उसे शीघ्र लगवाया जाए। केबलिंग संबंधी आवश्यकताओं को कम करने के लिए, दीवार पंखों को बिजली देने के लिए सौर पैनल लगाए जा सकते हैं।

कार्रवाई: मुख्य सुरक्षा अधिकारी; अधीक्षण अभियंता

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरणः (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को परिचालित करने के अनुरोध सहित।)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर-निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई. झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u>

<u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं.40-30/2022-स्था.I दिनांक : 15.10.2023

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषय : कांच की बोतलों में पैक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु बोतलबंद पेयजल सुविधा से संबंधित।

एम्स, नई दिल्ली में प्लास्टिक के उपयोग को घटाने के उद्देश्य से एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न बैठकों, सम्मेलनों आदि में पेयजल की डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतलों का उपयोग बंद करना अनिवार्य है। हालांकि, इसके साथ-साथ, स्वच्छता हेतु पर्यावरण अनुकूलित पैकेजिंग में पैक पेयजल की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करना भी अनिवार्य है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक नियंत्रणधीन सेंट्रल कैफेटेरिया के तहत आने वाले उचित स्थान में पुन: उपयोग करने योग्य कांच की बोतल में पैक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए एक बोतलबंद पेयजल सुविधा की स्थापना की जाए। इस सुविधा के अंतर्गत शुरूआत में प्रतिमाह कम से कम 15000 कांच की बोतलों (500 मि.ली.) की नो-टच ऑटोमेटिक धुलाई, कीटाणुशोधन, रिपैकिंग एवं सीलिंग की क्षमता तथा योग्यता होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उक्त सुविधा के संचालन एवं प्रबंधन में सभी आवश्यक वैधानिक अनुपालन जैसे एफएसएसएआई पंजीकरण का पालन किया गया हो।

कार्रवाई: प्रभारी-आचार्य - कैफेटेरिया प्रबंधन समिति

इंजीनियरिंग विभाग को उक्त सुविधा हेतु स्थान, आरओ का पानी, बिजली, जल निकासी, वातानुकूलन आदि से संबद्ध सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करना आवश्यक है।

कार्रवाई: अधीक्षण अभियंता (एम्स)

इस सुविधा के प्रारंभ होने के बाद एम्स, नई दिल्ली की सभी आधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों आदि में पैक पेयजल स्रोत के लिए यह बोतलबंद पेयजल सुविधा केंद्र बिन्दु होगी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर रोगियों एवं उनके परिचरों हेतु इस पैक पेयजल सुविधा को विस्तारित किया जा सकता है।

प्रो. एम. श्रीनिवास

निदेशक

वितरणः (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को परिचालित करने के अनुरोध सहित।)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर-निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एन.सी.आई., झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा

(नोटः- किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2022-Estt.I 04.06.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Welfare measures for regular & outsourced staff working at AIIMS New Delhi reg.

In view of the prevailing heat wave conditions, the undersigned has reviewed the welfare measures in place for the regular and outsourced staff working at AIIMS New Delhi. Accordingly, to ensure comfortable and ambient working conditions to the extent possible, the following steps shall be taken with immediate effect:

- Drinking water facility shall be made available in all areas. In case of staff having their duty in outer areas (like security guards), bottled drinking water / ORS / lemonade, etc. shall be provided at their outposts on regular basis.
- To ensure provisioning of bottled water on in-house basis, the commissioning of the bottling facility for clean drinking water (as per OM No. 40-30/2022-Estt.I dt. 25.10.2023) shall be expedited. It shall be also ensured that the bottled water is pre-cooled for immediate dispensing to various areas.
- Staggered duties shall be given to the extent possible in the existing rules, without any additional financial impact. It shall be ensured that duties are so rotated that no guard is doing the duty in outer areas for more than one week at a stretch.
- Guard huts with wall fan shall be provided at all outposts. In existing guard huts, it shall be ensured that wall fans if not available, are installed immediately. To minimise cabling requirements, solar panels can be installed to power the wall fans.

Action: Chief Security Officer; Superintendent Engineer

4/6/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2022-Estt.I 25.10.2023

OFFICE ORDER

Sub: Bottling facility for supply of clean drinking water packaged in glass bottles reg.

With aim of reducing the usage of plastic at AIIMS New Delhi & in line with the directives from Govt. of India, it is essential to stop the use of disposable plastic drinking water bottles in various meetings, conferences, etc. However, at the same time, it is also essential to provide an alternative facility for obtaining hygienic packaged drinking water in eco friendly packaging.

Accordingly, it has been decided that a Bottling Facility for supply of clean drinking water packaged in reusable glass bottles be setup in a suitable space under the administrative control of Central Cafeteria. This facility should have the capability & capacity for no-touch automated washing, disinfecting, repacking and sealing of atleast 15000 glass bottles (500ml) per month to begin with. It shall also be ensured that all necessary statutory compliances like FSSAI registration, etc. are complied with in the operations and management of the said facility.

Action: Prof. I/c Cafeteria, Cafeteria Management Committee

Engineering department is required to provide all required support in terms of space, RO water, electricity, drainage, air conditioning etc. for the said facility.

Action: Superintending Engineer (AIIMS)

Once operationalized, this bottling facility shall be the central point for sourcing packaged drinking water at AIIMS New Delhi for all official meetings, conferences, etc. This packaged drinking water facility may also be extended for patients & their attendants based on the feedback received.

25/10/2023

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility